

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत विरमोला से रायल तक मोटर मार्ग निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में अतिक्रमण न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत स्वीकृत विरमोला से रायल तक मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल अवनत वन भूमि डुगराबोंकू कं०नं०-12 जो कि वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है मैं वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है जिसमें वर्तमान में कोई भी अतिक्रमण नहीं है।

  
(डी०डी०मटट)  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०  
चम्पावत।